



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04082026-275191
CG-MH-E-04082026-275191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4150]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

No. 4150]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4326(अ).— जबकि, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना S.O.559 (E), दिनांक 18 अगस्त, 2025 के तहत — जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी और जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20A से संबंधित है — केंद्र सरकार ने गुजरात राज्य में 'समखियाली-गांधीधाम क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट' (पश्चिमी रेलवे) नामक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव और संचालन के उद्देश्य से, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया था;

और, चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 20A की उप-धारा (4) के अनुसार, उक्त अधिसूचना का सार 23 अगस्त, 2025 को दैनिक समाचार पत्रों - "कच्छ मित्र" (गुजराती), "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" (अंग्रेज़ी) और "यंग लीडर" (हिंदी) - में प्रकाशित किया गया था; और चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तथा तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं। और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (i) के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अब, सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के तहत, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर, इसके साथ जुड़ी अनुसूची में बताई गई ज़मीन सभी तरह के भारों से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् सामाखियाली-गांधीधाम चौगुनी परियोजना (पश्चिम रेलवे) के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण;

जिले का नाम: -भुज तालुका: भचाऊ

क्रमांक	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में।	भूमि मालिक/हितधारक का नाम
1	चोपडावा	281	निजी	कृषि और गैर-कृषि	1832	नितुबेन दिशांतभाई केला तेजाभाई करसनभाई सोरठिया शंखे हडिया चमन करसन सोरठिया शंखे हडिया भवन करसन सोरठिया वेस्टर्न इंडिया बाइंड प्राइवेट लिमिटेड ज़वेरीलाल देवचंद की ओर से
2	चोपडावा	273/3	निजी	गैर-कृषि	391	मादेवा करसन आहिर महेश नोरतम गुप्ता रमेश नोरतमन गुप्ता ज़वेरीलाल देवचंद की ओर से वेस्टर्न इंडिया बाइंड प्राइवेट लिमिटेड
3	भचाऊ	1094	निजी	गैर-कृषि	2086	निर्मलाबेन मनोजकुमार मेहता
4	भचाऊ	1210/1	निजी	कृषि	1918	पुष्पाबेन देवानदास भोजवानी
5	भचाऊ	1210/2	निजी	गैर-कृषि	6191	नैशेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
6	भचाऊ	1210/4	निजी	गैर-कृषि	3478	पटेल अरविंद हंसराज सुरानी
7	भचाऊ	1211/1	निजी	गैर-कृषि	7053	सिंटेक्स प्रीफैब एंड इंफ्रा लिमिटेड
8	भचाऊ	1211/2	निजी	गैर-कृषि	4350	प्राणलाल रतनशी परमार
9	भचाऊ	1225	निजी	कृषि और गैर-कृषि	4784	रोहित प्रोडक्शन पाली
	कुल ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)				32083	

[ई-फ़ा. नंबर-766153-02]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th August, 2026.

S.O. 4326(E).— whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), under, S.O.559 (E), dated the 18th August, 2025 & published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, and operation of the Special Railway Project namely, Samakhiali- Gandhidham Quadrupling project (Western Railway) in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra” (Gujarati), “Times Of India” (English), & “Young Leader ” (Hindi) dated 23rd August, 2025 in accordance with sub -section (4) of section 20A of the said Act; and whereas, objections received were considered and rejected by competent authority and accordingly orders have been passed. And whereas, in pursuance of sub section (i) of section 20E of the said act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, Samakhiali- Gandhidham Quadrupling project (Western Railway) in the State of Gujarat;

Name Of District: Bhuj, Taluka : Bhachau

Sr. No.	Name of the village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Sqm.	Name of the land owner /interested persons
1	2	3	4	5	6	7
1	Chopdava	281	Private	Agriculture and Non Agriculture	1832	Nituben Dihsantbhai Kela Tejabhai Karsanbhai Sorthiya Shankhe Hadiya Chman Karsan Sorthiya Shankhe Hadiya Bhawan karsan Sorthiya Western India Bind Pvt Ltd On behalf of Zaverilal Devchand
2	Chopdava	273/3	Private	Non Agriculture	391	Madeva Karsan Ahir Mahesh Nortam Gupta Ramesh Noratman Gupta Western India Bind Pvt Ltd On behalf of Zaverilal Devchand
3	Bhachau	1094	Private	Non Agriculture	2086	Nirmalben ManojKumar Mehta
4	Bhachau	1210/1	Private	Agriculture	1918	Pushpaben Devandas Bhojvani
5	Bhachau	1210/2	Private	Non Agriculture	6191	Nashent chemical Industries Ltd
6	Bhachau	1210/4	Private	Non Agriculture	3478	Patel Arving Hansraj Surani
7	Bhachau	1211/1	Private	Non Agriculture	7053	Cintex Prifabe & Infa Ltd

8	Bhachau	1211/2	Private	Non Agriculture	4350	Pranlal Ratanshi Parmar
9	Bhachau	1225	Private	Agriculture and Non Agriculture	4784	Rohit Production Pali
		Total land of Area in SQM			32083	

[e f. No.766153-02]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager-II